

6/17 पवन कुमार - दृष्टान्त

दिनांक	आज्ञा पत्र	
--------	------------	--

11-2-21

पत्रावली पेश। वकली अपीलांट एवं अपीलांट स्वयं को बार बार आबाज दिलाई गई न्यायालय समय सायंकाल 6 बजे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलांट अदम हारी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। प्रकरण दो बार समय केरु नगर से कम होकर बाद तत्पश्चात् उपस्थित



भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प इन्डियन)

